

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सरकार के मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अंतर्गत कार्मिक विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त प्रकरणों का परीक्षण करने के उपरांत राज्य सरकार के आदेश क्रमांक ए-5(51)कार्मिक/ क-2/88-1 दिनांक 29-4-99 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मृतक आश्रितों की संलग्न सूची के अनुसार 45 कनिष्ठ सहायक पद एवं 07 सहायक कर्मचारी पद के कुल 52 अभ्यर्थियों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियमों के अंतर्गत नियुक्ति का अनुमोदन किया जाकर जिला आवंटन किया जाता है।

नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व निम्न शर्तों की पालना सुनिश्चित करेंगे :-

1. राज्य सरकार के मृतक आश्रितों में से कनिष्ठ सहायक/सहायक कर्मचारी के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करने से पूर्व आवेदकों की शैक्षिक/प्रशैक्षिक संबंधी योग्यता के मूल प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उनकी वैधता एवं मान्यता आदि की पूर्ण जाँच करें एवं योग्यता के बारे में पात्रता रखने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें। राज्य से बाहर की डिग्रियों/प्रमाण पत्र के सत्यापन/वैधता एवं मान्यता के संबंध में सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रकरण की जाँच करेंगे।
2. मृत राज्य कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी /केन्द्र/निगम वार्ड या उपक्रम में कार्य ग्रहण तिथि तक नियोजित नहीं है इस हेतु अनुकम्पात्मक नियमों के नियम 5 के अनुसार शपथ पत्र आश्रित से प्राप्त करें । (मृतक की पत्नी पर यह नियम लागू नहीं होगा।)
3. मृतक की पुत्री की नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया हो तो उसके पदस्थापन के समय तक वह अविवाहित है इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें।
4. कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27.02.2001 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण/भरण पोषण करने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे । कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.02.2001 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती है ।
5. दत्तक पुत्र, पुत्रियों के संबंध में वैधता की जांच हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार करेंगे ।
6. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1) कार्मिक (क-2) (95) दिनांक 08.04.2003 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे, किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29.10.2005 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होंगे।
7. संलग्न सूचियों में अंकित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक 7 (2) डीओपी/ए-11/06 दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त (नियम डीविजन) विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ 12 (6) एफ डी /रुल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनीज के रूप में किया जा कर फिक्स रेमुनरेशन पर नियुक्ति अनुमोदन की जाती है ।
8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनीज) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मंहगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा ।
9. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनीज) की अवधि में राज्य बीमा की कटौती नहीं होगी ।
10. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.2(2)वित्त (नियम) 2021 पार्ट जयपुर दिनांक 25.05.2022 एवं 26.05.2022 तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले आदेशों के अनुसार सामान्य प्रावधानी निधि की नियमानुसार मासिक कटौती की जावेगी ।

11. परीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
12. परीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात किया जावेगा।
13. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(2) कार्मिक/ए-11/ 2006 दिनांक 05.07.2010 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.09.2010 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिये तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 02.01.2017 व 04.05.2017 के अनुसार मृतक आश्रित को कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अर्हता नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की अवधि में अर्जित करनी होगी। यदि उक्त अवधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता है, तो जितनी विलम्ब अवधि से वह कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करेगा उसका परीक्षाकाल उतनी ही अवधि का आगे बढ़ जायेगा। जिन प्रकरणों में शिथिलन प्राप्त है तथा जो प्रकरण कार्मिक विभाग से जरिए आदेश इस विभाग को स्थानांतरित है, उनसे संबंधित आदेशों में दी गई शर्तों की पूर्ण अनुपालना नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।
14. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा अब कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 05.07.2010 एवं 02.01.2017 के अनुसार कम्प्यूटर से ली जावेगी जिसे आश्रित को नियुक्ति के तीन वर्ष की अवधि में उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेंगे। इन्हें आगामी वेतन वृद्धि टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही देय होगी। कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 07.09.2009 के अनुसार मृत राज्य कर्मचारी की विधवा को टंकण परीक्षा करने से छूट दी जायेगी।
15. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करेंगे तथा नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के अच्छे आचरण का सत्यापन सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से करवाने के पश्चात् ही आदेश जारी करेंगे।
16. राज्य सरकार की अधिसूचना एफ-5(51)डीओपी/ए-11/88 पीटी जयपुर दिनांक 08.04.2015 के अनुसार नियम-5 में हुए संशोधन की पालना सुनिश्चित करें।
17. माध्यमिक शिक्षा सेटअप में स्वीकृत स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार ही पदस्थापन किया जाये।
18. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक पं.5 (51) कार्मिक/क-2/88 पार्ट जयपुर दिनांक 31.05.2016 के अनुसार आवेदक विवाहित है तो उसकी पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री यदि पूर्व से ही (नियम-5 में यथा परिभाषित) नियोजित है, को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित न होने के कारण, नियम-2(ग) के तहत आश्रित की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। फलतः ऐसे पुत्र को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देय नहीं होगी।
19. जिन अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है उन्हें ऐसे पद पर नियुक्ति प्रदान की जावे जिस पर किसी प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं हो।
20. राज्य सरकार के आदेशानुसार धूम्रपान नहीं करने तथा दहेज नहीं लेने के सम्बन्ध में आवेदक से नियमानुसार शपथ-पत्र प्राप्त करें। जिन अभ्यर्थियों के प्रकरण में मृतक/आवेदक के नाम/उपनाम में विसंगति होने पर नियमानुसार यथेष्ट भाषा में शपथ पत्र लेवे।
21. जिन प्रकरणों में कार्मिक विभाग/शासन से शिथिलन प्राप्त है, उन प्रकरणों में प्राप्त शिथिलन में निहित शर्तों की अनुपालना की जावे।
22. जिन प्रकरणों में शिथिलन प्रदान किया गया है एवं जो अन्य विभाग के होने के कारण कार्मिक विभाग से प्राप्त हुए हैं उसमें शिथिलन आदेश में वर्णित शर्तों एवं कार्मिक विभाग से प्राप्त होने वाले प्रकरणों में कार्मिक विभाग के पत्र में वर्णित शर्तों की अनुपालना होने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें। इस हेतु नियुक्ति आदेश जारीकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।

23. विधवा आवेदक के प्रकरणों में यदि पति की जाति जोड़कर आवेदन किया गया है तो नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व अपने स्तर पर नाम विसंगति के संदर्भ में पूर्ण पुष्टि करते हुए पुष्टि होने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करे तथा विवाहित आवेदक के संबंध में नियम-5 का जिशिअ का प्रमाण पत्र, आवेदक का शपथ पत्र एवं आवेदक की पत्नी का नियम-5 का शपथ पत्र प्राप्त करें। अविवाहित आवेदक के संदर्भ में वैवाहिक स्थिति का अद्यतन शपथ पत्र प्राप्त कर नियुक्ति आदेश जारी करें। यदि वैवाहिक स्थिति में अंतर है तो आवेदक के आश्रितों के संबंध में नियम-5 के समस्त दस्तावेज (आवेदक व आवेदक की पत्नी का शपथ पत्र, आवेदक के आश्रित परिवार के संबंध में जिशिअ का प्रमाण पत्र) प्राप्त होने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी करें।

24. आवेदक की जन्मतिथि के संबंध में नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर पर प्रथमतः शैक्षणिक योग्यता/टीसी (सक्षम स्तर से प्रमाणित) एवं केवल, आवेदक के विद्यालय प्रवेश नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी जन्म प्रमाण पत्र से पुष्टि करने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी करें।

चूंकि विभाग में कनिष्ठ सहायक/सहायक कर्मचारी के लिए जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्ति अधिकारी है, अतः उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुवे संलग्न सूची के अनुसार पदस्थापन आदेश 15 दिवस के भीतर जारी कर पदस्थापन आदेश 02 प्रतियों में इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवाएँ एवं आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे।

उक्त आदेश जारी कर दो प्रतियाँ उप शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राज0 जयपुर, एक प्रति उप शासन सचिव कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय, राज0 जयपुर को एवं इस कार्यालय को भी भिजवाना सुनिश्चित करें।

स्थिर पारिश्रमिक कनिष्ठ सहायक 14,600/-रु. मासिक एवं स्थिर पारिश्रमिक सहायक कर्मचारी 12,400/-

क्र. सं.	आवेदक का नाम व जन्मतिथि	मृतक से सम्बन्ध	आवेदन तिथि व आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री/श्रीमती	संबंधित जिला	आवंटित जिला
1	2	3	4	5	6	7
1	मनीष 02.08.2002	पुत्र	10-09-2018 कनिष्ठ सहायक	धर्मपाल कानि.क-2	उदयपुर	जयपुर
2	योशिता वशिष्ठ 01.07.2004	पुत्री	03-11-2022 कनिष्ठ सहायक	गगन चौबिसा प्रधानाचार्य, माशि	उदयपुर	डूंगरपुर
3	शान्तिलाल मीणा 17.04.1994	पुत्र	04-10-2021 कनिष्ठ सहायक	लालूराम मीणा अ. माशि	उदयपुर	उदयपुर
4	ललित कुमार साल्वी 26.10.1999	पुत्र	01-06-2022 कनिष्ठ सहायक	नारायणलाल बुनकर अ. माशि	राजसमंद	राजसमंद
5	सुमन रावल 05.06.1985	पत्नी	24-03-2022 कनिष्ठ सहायक	नरसिंह रावल है. कानि. क-2	प्रतापगढ़	उदयपुर
6	आरती मेणात 05.06.1995	पत्नी	19-04-2022 कनिष्ठ सहायक	जयन्तिलाल डामोर कानि. क-2	डूंगरपुर	डूंगरपुर
7	सुमित कुमार 05.08.1993	पुत्र	09-05-2022 कनिष्ठ सहायक	आमुराम पातलिया अ. माशि	बाडमेर	बाडमेर
8	गुलाब कंवर 15.12.2002	पुत्री	13-08-2021 कनिष्ठ सहायक	मोहब्बत सिंह सिसोदिया पशु चिकि. सहा. क-2	बाडमेर	बाडमेर
9	साहिल कुमार 10.02.2001	पुत्र	14-09-2022 कनिष्ठ सहायक	विजय कुमार भील अ. माशि	जैसलमेर	जैसलमेर

(Signature)

क्र. सं.	आवेदक का नाम व जन्मतिथि	मृतक से सम्बन्ध	आवेदन तिथि व आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री/श्रीमती	संबंधित जिला	आवंटित जिला
1	2	3	4	5	6	7
10	प्रवीण कुमार 15.08.1999	पुत्र	11-11-2022 कनिष्ठ सहायक	गजाराम चौधरी व.अ.माशि	जालौर	जालौर
11	अजीत कुमार बैरवा 05.07.1989	पुत्र	14-10-2020 कनिष्ठ सहायक	गंगाराम बैरवा चश्रेक माशि	जयपुर	जयपुर
12	दीपक यादव 10.10.2004	पुत्र	08-06-2021 कनिष्ठ सहायक	धनश्याम यादव शा0शि0 माशि	जयपुर	जयपुर
13	राहुल कुमार परसोया 25.07.2003	पुत्र	01-09-2019 कनिष्ठ सहायक	महावीर प्रसाद कानि क-2	जयपुर	सीकर
14	हर्ष मंघवानी 16.07.1996	पुत्र	22-11-2021 कनिष्ठ सहायक	धनवन्ती व प्र सहायक माशि	जयपुर	जयपुर
15	सोनम नरुका 16.02.2004	पुत्री	09.12.2021 कनिष्ठ सहायक	प्रेमसिंह कानि0 क-2	जयपुर	करौली
16	हरिनारायण सैनी 15.01.1992	पुत्र	12-03-2022 कनिष्ठ सहायक	पुन्याराम सैनी चश्रेक माशि	अलवर	अलवर
17	निरंजन कुमार मीना 20.05.2002	पुत्र	30-03-2022 कनिष्ठ सहायक	विश्राम मीना अ. माशि	अलवर	अलवर
18	प्रवीण कुमार मीणा 13.05.1992	पुत्र	02-12-2021 कनिष्ठ सहायक	सरोज कुमार मीणा अ. माशि	अलवर	अलवर
19	अनिरुद्ध सिंह कुंवर 22.03.2004	पुत्र	10-06-2021 कनिष्ठ सहायक	शेरसिंह चश्रेक. माशि	अलवर	जयपुर
20	मुकेश कुमार 01.07.1986	दत्तक पुत्र	13-12-2021 क.स.	हरिसिंह चश्रेक, माशि	अलवर	अलवर
21	हेमन्त सिंह 08.08.1996	पुत्र	07-07-2022 कनिष्ठ सहायक	राधेश्याम चश्रेक माशि	भरतपुर	भरतपुर
22	मनराज मीना 15.07.1991	पुत्र	02-05-2022 कनिष्ठ सहायक	भरत लाल मीना अ. माशि	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर
23	सौरभ मीना 24.06.2002	पुत्र	15-07-2020 कनिष्ठ सहायक	भरत लाल मीना कानि0 क-2	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर
24	रीना गुर्जर 01.03.1996	पत्नी	09-12-2020 कनिष्ठ सहायक	रामनिवास गुर्जर पशुधन सहायक, क-2	करौली	करौली
25	पिंकी देवी 08.07.1987	पत्नी	04-01-2022 कनिष्ठ सहायक	रघुवीर सिंह कानि, क-2	करौली	भरतपुर
26	दौलत 05.01.2000	पुत्र	01-02-2021 कनिष्ठ सहायक	भूप सिंह कानि, क-2	धौलपुर	भरतपुर
27	नरेन्द्र सिंह उज्ज्वल 08.01.1996	पुत्र	30-08-2022 कनिष्ठ सहायक	सहसकरण दान उज्ज्वल, अ. माशि	बीकानेर	बीकानेर
28	मिलन दीप सिंह 09.08.2002	पुत्र	06-12-2021 कनिष्ठ सहायक	गुरप्रीत सिंह कानि. क-2	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर

क्र. सं.	आवेदक का नाम व जन्मतिथि	मृतक से सम्बन्ध	आवेदन तिथि व आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री/श्रीमती	संबंधित जिला	आवंटित जिला
1	2	3	4	5	6	7
29	सतपाल 03.09.2000	पुत्र	22-10-2019 कनिष्ठ सहायक	धर्मपाल कानि.क-2	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
30	करणवीर भाम्बू 25.09.1995	पुत्र	07-10-2022 कनिष्ठ सहायक	धनराज भाम्बू अ.माशि	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
31	अमन शर्मा 03.09.1997	पुत्र	18-08-2022 कनिष्ठ सहायक	संगीता शर्मा वअ.माशि	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़
32	सरिता पांचाल 12.07.1998	पुत्री	13-06-2022 कनिष्ठ सहायक	लालचन्द पांचाल अ., माशि	कोटा	कोटा
33	रविप्रकाश मीणा 12.12.1989	पुत्र	17-06-2022 कनिष्ठ सहायक	रामदयाल मीणा अ. माशि	कोटा	कोटा
34	सौम्या सौलंकी 10.09.1992	पत्नी	12-01-2022 कनिष्ठ सहायक	भरत सिंह कानि० क-2	कोटा	कोटा
35	सतीश वर्मा 17.01.1995	पुत्र	28-04-2022 कनिष्ठ सहायक	कल्याणमल वर्मा अ माशि	बांरा	बांरा
36	मोहित सिंह 07.12.1995	पुत्र	15-12-2021 कनिष्ठ सहायक	दिलीप सिंह कानि. क-2	बूंदी	बूंदी
37	जुबेर अली 20.08.1999	पुत्र	23-11-2021 कनिष्ठ सहायक	सलेमुदीन हाली, क-2	सीकर	सीकर
38	विजयपाल 06.09.1989	पति	27-07-2021 कनिष्ठ सहायक	इंदू कुमारी कानि, क-2	सीकर	सीकर
39	घनश्याम फुलवारिया 10.07.1997	पुत्र	15.06.2022 कनिष्ठ सहायक	विमला देवी जलधारी, क-2	सीकर	सीकर
40	रामधन मीणा 05.08.1979	पति	18-12-2021 कनिष्ठ सहायक	गीता कुमारी मीणा वअ माशि	अजमेर	अजमेर
41	हेमन्द्र कंवर 02.01.1991	पत्नी	28-12-2021 कनिष्ठ सहायक	राजेन्द्र सिंह कानि क-2	अजमेर	भीलवाड़ा
42	पुष्पेन्द्र उड्डद 13.04.2000	पुत्र	23-03-2022 कनिष्ठ सहायक	परस राम उड्डद शा०शि०, माशि	नागौर	नागौर
43	दिलीप आमेटा 25.01.1996	पुत्र	15-09-2022 कनिष्ठ सहायक	सुरेश चन्द्र शर्मा अध्यापक माशि	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
44	सुनिता मीना 12.12.1989	पत्नी	27-10-2017 कनिष्ठ सहायक	प्रभुलाल मीना क-2 कानि	टोंक	टोंक
45	गौरव कुमार बैरवा 23.03.1990	पुत्र	01-07-2022 कनिष्ठ सहायक	रामधन बैरवा अ.माशि	टोंक	टोंक
46	रचना देवी 30.06.1991	पत्नी	31-8-2022 च.श्रे.क.	देवकरण मीणा अ.माशि	पाली	झालावाड़
47	मैना चौधरी 14.11.1978	पत्नी	24-6-2022 च.श्रे.क.	थानाराम चौधरी अ. माशि	पाली	पाली
47	सुरेन्द्र सिंह चौहान 07.04.2002	पुत्र	23-08-2022 च.श्रे.क.	प्रहलाद सिंह राजपूत चश्रेक, माशि	जयपुर	दौसा

क्र. सं.	आवेदक का नाम व जन्मतिथि	मृतक से सम्बन्ध	आवेदन तिथि व आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री/श्रीमती	संबंधित जिला	आवंटित जिला
1	2	3	4	5	6	7
49	पंकज कुमार 05.07.1986	पुत्र	20-06-2022 च.श्रे.क.	रुक्मणी देवी च.श्रे.क, माशि	हनुमानगढ	हनुमानगढ
50	राहुल कुमार 20.07.1996	पुत्र	12-08-2022 च.श्रे.क.	विद्या देवी च.श्रे.क, माशि	हनुमानगढ	हनुमानगढ
51	सीमा 20.01.1980	पत्नी	06-09-2018 च.श्रे.क.	भंवर लाल कानि0, क-2	चूरु	चूरु
52	रामपाल मीणा 20.12.2003	पुत्र	25-02-2022 च.श्रे.क.	दयाला च.श्रे.क माशि	बूंदी	बूंदी

नोट : क्र.सं. 7, 8, 13, 14, 23, 28, 29, 40 एवं 52 के प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा वांछित शिथिलन प्राप्त हैं।

(गौरव अग्रवाल)
I.A.S.

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

दिनांक : 30-12-2022

क्रमांक : शिविरा-माध्य/अनु.नियु./3901/नियुक्तिमूल/2022/145-150

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, सत्यमेव जयते

6. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय.....को उल्लेखित.....अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र मूल में ही संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश में वर्णित समस्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए रिक्त पद के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी करवाकर पालना सुनिश्चित कर जारी आदेशों की प्रति एवं कार्यग्रहण की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करें।

7. श्री को देकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय कार्यालय में देकर पावती प्राप्त करें।

8. स्टाफ आफिसर, निजी अनुभाग (निदेशक)

9. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को आदेश वेब साईट पर अपलोड करने बाबत।

10. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर